न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला–बारा(राज.)

पीठासीन अधिकारी – दीनानाथ बबल् (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः– 35/2015

दायर दिनांकः– 17.07.2015 **निर्णय दिनांकः– 07.01.2020**

उनवान

1. रामेश्वर पुत्र सुआलाल जाति किराड निवासी कलोनी तहसील शाहबाद जिला बारां राज0।
2. राधेश्याम पुत्र सुआलाल जाति किराड निवासी कलोनी तहसील शाहबाद जिला बारां राज0।
3. किरन पुत्री सुआलाल पत्नि नारानसिंह उर्फ मिठ्ठू जाति किराड निवासी कलोनी हाल सेमली फाटक तहसील शाहबाद जिला बारां राज0।
4. विमलेश पुत्री सुआलाल पत्नि राकेश जाति किराड निवासी कलोनी हाल खाण्डासहरोल तहसील शाहबाद जिला बारां राज0।
5. कटोरी बेवा सुआलाल जाति किराड निवासी कलोनी तहसील शाहबाद जिला बारां राज0।

–वादीगण

बनाम

1. रेशमसिंह पुत्र गुलजार सिंह जाति जट सिख निवासी गणेशपुरा जिला बून्दी राज0 हाल केयर ऑफ जसवीर सिंह जाट कालामाल तह0 शाहबाद जिला बारां राज0।
2. देवेन्द्रसिंह पुत्र रेशनसिंह जाति जट सिख निवासी गणेशपुरा जिला बून्दी राज0।
3. निर्मल पुत्र रेशनसिंह जाति जट सिख निवासी गणेशपुरा जिला बून्दी राज0।
4. सुमन्त्री पत्नि केशरीलाल जाति किराड निवासी कलोनी तह0 शाहबाद जिला बारां राज0।
5. केशरी पुत्र शिवलाल जाति किराड निवासी कलोनी तह0 शाहबाद जिला बारां राज0।
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार शाहबाद जिला बारां राज0।

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट

वादीगणों ने निम्न आधारों पर प्रार्थना पत्र पेंश कियाः– ग्राम कलोनी में खसरा नं. 510 की 34.12 बीघा किस्म डांडा कृषि भूमि वादीगण के सहखातेदारी की है। उक्त भूमि के सहखातेदार जेनेन्द्र कुमार, बृजमोहन, उत्तम, पप्पू पुत्रगण प्रसादीलाल व इमरतलाल, मेघा पुत्र मूला ने अपना हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक 2015000403, 2015000405 दिनांक 27.05.2015 से प्रतिवादीक्रम 1 को विक्रय कर दिया है। इस कारण उक्त सहखातेदारान का हिस्सा अन्तरण हो जाने से विवादित भूमि में उनका कोई हक नही रहा व उक्त वर्णित सहखातेदारान के स्थान पर प्रतिवादीक्रम 1 को पक्षकार बनाया गया है। शिवलाल फोत हो चुका है जिसका पुत्र केशरी प्रतिवादीक्रम 3 हैं। विवादित भूमि में वादीगण का हिस्सा 3/10 का 5/8 अर्थात् 3/16 व 4/10 का 5/6 अर्थात् 1/3 है। वादीगण व तत्कालीन सहखातेदारान के मध्य आपसी सहमति से आज से लगभग 25 वर्ष पूर्व हिस्सानुसार विभाजन हो गया लेकिन नियमानुसार विभाजन करवाकर खाता पृथक नही करवाने से शामिलाती खाता चलता रहा। वादीगण आपसी सहमति से हुये विभाजन अनुसार अपने हिस्से पर निरन्तर काबिज काश्त है तथा शेष सहखातेदारान ने काश्त नही की भूमि पड़त पड़ी है व झाड़–जंगल खडा है। वादीगण ने अपने हिस्से की भूमि को उपजाऊ बना लिया। जेनेन्द्र, बृजमोहन, उत्तम, पप्पू, इमरतलाल, मूला ने विवादित भूमि में जो काश्त नही करने से पड़त पड़ा है व झाड़ जंगल है प्रतिवादीक्रम 1 को विक्रय कर दिया। प्रतिवादीक्रम 1 उक्त विक्रेताओं द्वारा विक्रय उनका हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद जिला बारॉं (राज.)

Scanned by CamScanner

जो काश्त न करने से पड़त है तथा झाड़ जंगल है के स्थान पर वादीगण के हिस्से की भूमि जो वादीगण ने काश्त कर उपजाऊ बना ली है तथा वादीगण निरन्तर काबिज काश्त है। वर्तमान में जो सोयाबीन खड़ी है पर कब्जा करना चाहता है। इस बाबत् प्रतिवादीक्रम 1 से 3 दिनांक 10.07.2015 को वादीगण की उक्त आराजी पर पटवारी को लेकर पहुंचे और स्ट्रेजर परचेजर होने के बावजूद बिना नामान्तरकरण दर्ज कराये, बिना विभाजन किये वादीगण की भूमि को कब्जा करने के लिए हल्का पटवारी से मिली भगत कर नपवाने लगे जिन्हें वादीगण ने बमुश्किल रोका तो हल्का पटवारी ने एक कागज पर लिखा पढ़ी कर आस–पास के लोगो के हस्ताक्षर करवा लिये तथा प्रतिवादीक्रम 1 से 3 ने वादीगण को धमकी दी कि प्रतिवादीक्रम 1 से 3 जबरन ताकत के बल पर वादीगण की भूमि पर कब्जा करके रहेंगे। प्रतिवादीक्रम 1 से 3 का उक्त कृत्य सर्वथा अवैध, विधि विरुद्व व मनमाना है।

अतः वाद पेश कर माननीय न्यायालय से निवेदन है कि वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर पूर्व में सहखातेदारान के मध्य हुये विभाजन को मान्यता दी जाकर कब्जे के आधार पर खाता पृथक कर अप्रार्थीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावें कि प्रतिवादीक्रम 1 से 3 वादीगण के खातेदारी व कब्जेकाश्त की कृशि भूमि ग्राम कलोनी में खसरा नं. 510 की 34.12 बीघा पर वादीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार दखलन्दाजी, अवरोध, कब्जा न तो स्वयं करे, न ही अपने परिवारजन, प्रतिनिधि, नौकर से करावें, और वादीगण को भांतिपूर्वक काश्त करने दें।

प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। प्रतिवादीगण ने जबाव पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादी भी कब्जे एवं रिकार्ड को प्राथमिकता हेतु बॅटवारे के दावे का निस्तारण चाहते है। दोनो पक्षो के रिकार्ड एवं कब्जे को प्राथमिकता देते हुए बटबारा चाहने की इच्छा प्रकट की। जिससे तनकी कायम नही की गई। दोनो पक्षों को सुना गया। दोनो पक्षों नें रिकॉर्ड/कब्जे के आधार पर विभाजन करने पर सहमति दी। तहसीलदार शाहबाद को प्रारम्भिक डिग्री दिनांक 12.08.2016 को जारी कर निर्देशित किया गया है कि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हिस्सा अनुसार कब्जे को प्राथमिकता देते हुये विभाजन प्रस्ताव पेश करे।

तहसीलदार शाहबाद ने अपने पत्र कमांक 1036 दिनांक 11.12.2019 से विभाजन प्रस्ताव पेश किये। प्रस्ताव को उभय पक्ष को सुनाया गया। सहमति प्रकट करने पर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य मे विवादित आराजी नियमानुसार विभाजित किया जाता है।

वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार प्रविष्ट			प्रस्तावित विभाजन			
खातेदार का नाम	खसरा नं0	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा नं0	रकबा	लगान
शिवलाल पुत्र मूला हि. 5/50 रामेश्वर, राधेश्याम पुत्र सुआलाल किरन, विमलेश पुत्रियां सुआलाल हि. 31/125 कटोरी बेवा सुआलाल हि. 3/250 जाति किराड़ सा0 कलोनी रेशमसिंह पुत्र टहलसिंह जाति जटसिख सा0 गणेशपुरा तहसील व जिला बून्दी हि0 17/25 नामा0 824 से रामेश्वर व किरन का हि0 रहन बारां केन्द्रीय सहकारी बैंक शाहबाद नामा0 न0	510	34.12	(1) रामेश्वर राधेश्याम पुत्र सुआलाल किरन विमलेश पुत्रियां हि0 43/45 कटोरी बेवा सुआलाल हि0 2/45 जाति किराड़ सा0 कलोनी नामा0 न0 824 से रामेश्वर, किरन का हि0 रहन बारां केन्द्रीय सहकारी बैंक शाहबाद	510	9.00	0.90
			(2) रेशमसिंह पुत्र टहलसिंह जाति जटसिख	510 /1	25.12	256

उपखण्ड अधिकारी
शाहबाद जिला बारॉं (राज.)

Scanned by CamScanner

1084,1138,1139,1166,1265 नामा0 न0 1259, व 1275 से रेशमसिंह का हि0 17/25 रहन आई.सी.आई.सी.आई. बैंक फरेदवा			निवासी गणेशपुरा तहसील व जिला बून्दी हि0 235/256 शिवलाल पुत्र मूला जाति किराड़ सा0 कलोनी हि0 21/256 नामा0 नं0 1259 व 1275 रेशमसिंह का हि0 रहन आई.सी.आई.सी.आई. बैंक शाखा फरेदवा			

उपरोक्त राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु अंतिम डिक्री जारी हो वादी व प्रतिवादी को पाबन्द किया जाता है कि विभाजित आराजी में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शाहबाद

उपखण्ड अधिकारी
शाहबाद जिला बारां (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहबाद जिला बारां

Scanned by CamScanner